न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

(बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :– 13 / 2017
दायर दिनांक :– 26–04–2017
निर्णय दिनांक :– 27–11–2017

अनवान

श्री मुकेश सालवी पिता बालू सालवी निवासी लापस्या
तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द
———अपीलांट

बनाम

1.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,रेलमगरा
2.ग्राम पंचायत लापस्या जरिये सरंपच ग्राम पंचायत लापस्या
3.श्रीमती प्यारी पति मांगीलाल बुनकर निवासी चांदपोल दरवाजे के अन्दर कांकरोली(राजस्व रेकार्ड अनुसार प्यारी बेवा केशु)
4.डाली पति स्व0बालू सालवी निवासी लापस्या तह0रेलमगरा
———रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण आदेश उप तहसीलदार रेलमगरा नामान्तरण सख्या 555 दिनांक 16.03.2013

उपस्थित :–

1– श्री प्रहलाद शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2– श्री दिनेश आचार्य अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

–: निर्णय :–

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, रेलमगरा द्वारा राजस्व ग्राम लापस्या का नामान्तरकरण संख्या 555 दिनांक 16.03.2013 केशु पिता नानु के वारिसानों की जाचं किये बिना नामान्तरकरण स्वीकृत करने से असंतुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त नामान्तरण फैसल होने की जानकारी दिनांक 13.01.2016 को खाते की नकल प्राप्त करने से हुई । जानकारी के अभाव में जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी गई । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, रेलमगरा द्वारा राजस्व लापस्या का नामान्तरकरण संख्या 555 दिनांक 16.03.2013 केशु पिता नानु के वारिसानों की जाचं किये बिना नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। केशु पिता नानु कि मृत्यु के बाद अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत द्वारा फैसल किया गया नामान्तकरण त्रृटीपूर्ण एवं बिना जांच किये विरासत से प्यारी पत्नी म्रंगीलाल बुनकर को केशु की पत्नी मानते हुये जो कि केशु के फौत होने के पूर्व उसके जीवनकाल में ही अन्यत्र सामाजिक रिती रिवाजनुसार नाता विवाह कर चली गयी थीं फिर भी प्यारी के नाम नामान्तकरण फैसल कर दिया गया। जबकि कानूनन यह अवैध हैं और तत्कालीन पटवारी को तहसीलदार साहब ने बिना जांच करे ही उक्त नामान्तकरण खोले जाने की स्वीकृती प्रदान कर दी । गलत तरीके से बिना जांच किये खोला गया नामान्तकरण अवेध ,विधि विरूद्व एवं प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो के विपरित होकर काबिल निरस्त है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 555 दिनांक 16.03. 2013 निरस्त फरमाये जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, रेलमगरा द्वारा राजस्व ग्राम लापस्या का नामान्तरकरण संख्या 555 दिनांक 16.03.2013 विधि अनुसार खोला गया हैं । प्यारी मृत्यक की पहली पत्नी होकर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसका पति की सम्पति में हक अधिकार है। अपीलाण्ट द्वारा श्रीमती प्यारी के विधिवत विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अतः माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गाया नामान्तकरण सख्या 555 दिनांक 16.03.2013 विधि अनुसार खोला गया हैं । अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होकर खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर उपतहसीलदार, रेलमगरा द्वारा राजस्व ग्राम लापस्या का नामान्तरकरण संख्या 555 दिनांक 16.03.2013 विधि अनुसार हैं । श्रीमती प्यारी बाई मृतक की पत्नी है। अपीलाण्ट द्वारा श्रीमती प्यारी के विधिवत विवाह विच्छेद के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। समक्ष न्यायालय द्वारा खोले गये नामान्तकरण में मैं कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता हूँ । अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मैं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ । अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.09.2013 बहाल रखा जाता है तथा अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है ।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 27–11–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द